भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
10.12.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1753 का उत्तर

कृषि वस्तुओं के लिए रियायती माल ढुलाई सेवाएं

1753. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए कृषि उपज के परिवहन हेतु शून्य-किराया/रियायती माल ढुलाई सेवाएँ प्रदान करने के लिए किसी योजना पर विचार किया है/कार्यान्वित की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) किसान रेल सहित ऐसी योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या केला, चावल, हल्दी, ड्रमस्टिक, सब्जी, फूल एवं अन्य नाशवान वस्तुओं के लिए करूर, डिंडीगल, त्रिचिरापल्ली एवं पुडुकोट्टई जैसे जिलों को सम्मिलित किया गया है/लाभान्वित किया गया है;

(ग) क्या सरकार प्रमुख कृषि-मार्गों पर नाशवान वस्तुओं के खराब होने से रोकने और उचित बाजार तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए समर्पित कोल्ड चेन रेल कोच/प्रशीतित पार्सल वैन आरंभ करेगी; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसी कोल्ड चेन सेवाओं हेतु निर्धारित समय-सीमा और चिह्नित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो करूर जैसे उच्च उत्पादन वाले जिलों को इन शुद्धि पत्र उपायों से बाहर रखने के क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): लघु और सीमांत किसानों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के कृषि उत्पादों के परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए, क्षेत्रीय रेलवे को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है कि वे फल और सब्जियों सहित मिश्रित नश्यवान वस्तुओं के परिवहन के लिए पार्सल रेक

का संघटन 20 पार्सल वैन और 1 एसएलआर के मानक संघटन से घटाकर 15 पार्सल वैन और 1 एसएलआर करें। इसके अलावा, संतरा, आम और केले का यातायात जब बीसीएन/बीसीएनए/बीसीएक्स/बीसीएक्सएन रेकों में ले जाया जाता है, तो उसे रियायत पार्सल दरों (स्केल-पी में 50% की कटौती) पर प्रभारित किया जाता है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकारों के कृषि/पशुपालन/मत्स्यपालन विभागों और स्थानीय निकायों तथा एजेंसियों, मंडियों आदि के परामर्श से सब्जियों, फलों और अन्य नश्यवान पण्यों को भेजने के लिए संभावित सर्किटों की पहचान की जाती है तथा परिचालनिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए मांग के आधार पर किसान रेल सेवाओं की योजना बनाई जाती है।

दिनांक 7 अगस्त 2020 को किसान रेल सेवा शुरू होने के बाद भारतीय रेलवे ने देश भर में कुल 2,364 किसान रेल सेवाएँ परिचालित की है, जिनसे लगभग 7.9 लाख टन नश्यवान पण्यों का परिवहन किया गया है।

इसके अलावा, एक अंतर-जोनल पार्सल एक्सप्रेस गाड़ी दक्षिण रेलवे में चेन्नई में रॉयापुरम से मंगलोर सेंट्रल और वापसी के लिए 12.12.2025 से अनुसूचित की गई है जिसका ठहराव सेलम, इरोड, उत्तुकुली, तिरुपुर, पोदानूर, कोयंबतूर, पालकड़, शोरानूर, तिरूर, कोझिकोड, थलसेरी, कनूर और कासरगोड स्टेशनों पर होगा। आस-पास के जिलों के किसान और व्यापारी अपनी कृषि उपज के परिवहन के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं।

कॉनकॉर द्वारा कुल 47,236 टीईयू नश्यवान पण्यों का परिवहन किया गया है जिनमें रेफ्रिजरेटेड कंटेनरों में फल, सब्जियां, दूध उत्पाद, मछली, मांस और अन्य खाद्य वस्तुएं शामिल है। कॉनकॉर की तापमान नियंत्रित भंडारण सुविधाएं नासिक, न्यू आज़ादपुर, दादरी और सोनीपत में कुल लगभग 129 करोड़ रुपए के निवेश के साथ स्थापित की गई हैं।

*****